कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः R-1426 / छब्बीस--एम0बी0(2020--2021) गोपेश्वरः दिनांकः 03 फरवरी, 2021

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, थराली।

विषयः विकास खण्ड गैरसैंण में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत गैरसैंण में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर नदी पर बांध निमार्ण कार्य (क्षति0वृ0हेतु सिविल सोयम भूमि) के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक उप जिलाधिकारी थराली ने अपने पत्र सं0--54 / एस0टी0--भूमि अधिग्रहण(2020--2021) दिनांक 21 जनवरी 2021 के द्वारा विकास खण्ड गैरसैंण में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत गैरसैंण में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बांध निमार्ण कार्य हेतु ग्राम केरा के खसरा सं0--1015 रकबा 1.730 है0, खसरा सं0--1016 रकबा 4.755 है0 मध्ये 4.704 है0, एवं खसरा सं0--1017 रकबा 4.685 है0 अर्थात कुल 11.119 है0 भूमि पुनः क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित कर प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा एवं खतौनी इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसे संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्नक--यथोपरि।

प्रभारी अधिकारी,
कृते--जिलाधिकारी, चमोली।

प्रतिलिपिः-- 1. जिलाधिकारी महोदया चमोली के अवलोकनार्थ ।

प्रभारी अधिकारी,
कृते--जिलाधिकारी, चमोली।

दि03/2/2021 को प्राप्त

LAC-I

OC 01/02/2021

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
थराली।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

संख्याः 54 / एस0टी0–भूमि अधिग्रहण(2020–2021)दिनांकः थराली, 21 जनवरी 2021

विषयः– **जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जलाशय निर्माण के गठन के सम्बन्ध में।**

महोदया,

कृपया उपरोक्त कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–1122 / छब्बीस–एम0बी0(2018–19), दिनॉक 06 नवम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड थराली के पत्र संख्या–609 / सि0ख0थ0 / पी0–03 बैराज दिनॉक 04.11.2020 की प्रति संलग्न करते हुए विकास खण्ड गैरसैंण में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जलाशय निर्माण हेतु 2.90 है0 भूमि उपलब्ध कराते हुए प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा एवं खतौनी जॉच आख्या के साथ उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

विषयगत प्रकरण में जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिये गये मौखिक निर्देश के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा वन क्षेत्र अधिकारी, मध्य पिंडर रेंज थराली एवं तहसीलदार थराली एवं राजस्व उप निरीक्षक डुंग्री के माध्यम से प्रस्तावित भूमि की जॉच करायी गयी तथा संयुक्त जॉच आख्या प्राप्त की गयी। प्रकरण में वन क्षेत्र अधिकारी, मध्य पिंडर रेंज थराली द्वारा अपने पत्र संख्या–449 / 12 दिनॉक 15 जनवरी, 2021 से अवगत कराया गया है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत रामगंगा नदी पर जलाशय निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित 11.17 है0 भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार, थराली, राजस्व उप निरीक्षक डुंग्री व स्थानीय ग्राम वासियों के साथ अनुभाग अधिकारी थराली द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा प्रेषित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार राजस्व उप निरीक्षक डुंग्री द्वारा तीन पैचों में प्रस्तावित भूमि दिखायी गयी। जिसकी आख्या निम्नॉनुसार हैः–

पैच संख्या–01– जिसका कुल सकल क्षेत्रफल 5.00 है0 है, जिसमें 40 प्रतिशत भाग चट्टानी है। अतः उक्त पैच में 60 प्रतिशत भाग (3.00 है0) पर ही वृक्षारोपण कार्य सम्भव है।

पैच संख्या–02– जिसका कुल सकल क्षेत्रफल 5.00 है0 है, जिसमें 20 प्रतिशत भाग चट्टानी है। अतः उक्त पैच में 80 प्रतिशत भाग (4.00 है0) पर ही वृक्षारोपण कार्य सम्भव है।

पैच संख्या–03– जिसका कुल सकल क्षेत्रफल 5.25 है0 है, जिसमें 20 प्रतिशत भाग चट्टानी है। अतः उक्त पैच में 80 प्रतिशत भाग (4.20 है0) पर ही वृक्षारोपण कार्य सम्भव है।

उपरोक्तानुसार कुल तीनों पैचों में (3.00+4.00+4.20)=11.20 है0 उपलब्ध भूमि, जिसके कुछ भाग में स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा वर्षाकाल में घास इत्यादि भी काटा जाता है, उनके द्वारा कहा गया है कि उन्हें इस क्षेत्र में वृक्षारोपण करने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में वन क्षेत्र अधिकारी, मध्य पिंडर रेंज, थराली द्वारा उक्त प्रस्तावित 11.17 है0 भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण करने हेतु अपनी संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।(प्रति संलग्न)

इसी प्रकार प्रकरण में तहसीलदार थराली द्वारा अपने पत्र संख्या–90 / र0का0–क्ष0पू0 / 2021 दिनॉक 19 जनवरी, 2021 से अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्तावित भूमि का वन कार्मिकों के साथ गहनता से निरीक्षण कर प्रस्तावित भूमि को 03 भौगोलिक भागों में बांटा गया। इन 03 भागों के मध्य में कहीं–कहीं पर पथरीला भाग भी स्थित है। इन पथरीले हिस्सों को छोड़कर अन्य भाग पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। उक्त भौगोलिक क्षेत्र के बारे में स्थानीय ग्रामवासियो से वार्ता की गयी तो ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि बरसात के दिनों में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में घास इत्यादि काटा जाता है। ग्रामवासियों को उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षारोपण होने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम केरा के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1015 रकवा 1.730 है0, खसरा नम्बर 1016 रकवा 4.755 है0 मध्ये 4.704 है0 एवं खसरा नम्बर 1017 रकवा 4.685 है0, कुल 11.119 है0 में स्थित है।(प्रति संलग्न)

प्रकरण में प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा एवं खतौनी की नकल पूर्व में जॉच रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा चुकी है।

अतः उपरोक्तानुसार वन क्षेत्र अधिकारी, मध्य पिंडर रेंज थराली / तहसीलदार थराली की संयुक्त जॉच आख्या के अनुसार प्रस्तावित 11.17 है0 भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित महोदया की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(सुधीर कुमार)
उप जिलाधिकारी,
थराली।